न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
100/2016 (GCMS 2016/00130)	26.12.2016	19.03.2021

अनवान

पुष्पा देवी पिता शोभालाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़

अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

रेस्पोडेंट

–:: अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार राशमी तहसील राशमी क्रमांक 44/2016 तारीख आदेश 29.08.2016 ::–

उपस्थिति :– श्री श्यामलाल दायमा अधिवक्ता अपीलांट
श्री भैरूलाल सालवी राजकीय अधिवक्ता

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत एक अपील विरूद्ध रेस्पोडेंट के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय व आदेश न्याय, नियम एव वाक्याती तथ्यों के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का राशमी के द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि अपीलान्ट ने संवत 2073 में मौजा ग्राम राशमी तहसील राशमी की आराजी नम्बर 2019 रकबा 1.08 हैक्टर में से 1 बीघा भूमि बिलानाम उसर पर कब्जा कर फसल ज्वार बो कर कब्जा किया है व उक्त आराजीयात पर गत वर्ष भी अपीलान्ट का कब्जा रहा है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलान्ट की प्रोपर तामील हुए बगैर अपीलान्ट की फर्जी अगुंठा निशानी लगाते हुए तामील दर्शाते हुए अपीलान्ट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के स्वरूप में अपीलान्ट के विरूद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए मौके से बेदखल करने एवं लगान की पचास गुना

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:15:57 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

शास्ति आरोपित कर बेदखली का आदेश पारित कर दिया, जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत बयानो से अपीलान्ट को जिरह का अवसर प्रदान नहीं किया गया, ऐसी स्थिति में पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत बयान साक्ष्य में ग्राहय नहीं है एवं न ही पटवारी हल्का ने ऐसा कोई दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियाँ ही पत्रावली में प्रस्तुत की, न ही पटवारी हल्का के बयान हुए, पश्चातवर्ती कब्जे बाबत कोई प्रालेखीय साक्ष्य भी पत्रावली में प्रस्तुत नहीं हुई है जिसके आधार पर यह माना जा सके कि अपीलान्ट का आराजीयात पर अतिक्रमण रहां हो, फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए बेदखली का आदेश पारित कर दिया जो अपने आप में में अवैधानिक हो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट की प्रोपर तामील हुए बगैर अपीलान्ट की उपस्थिति बताकर निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया, जबकि अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ एवं न ही प्रोपर तामील हुई है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट की प्रोपर तामील नहीं हुयी जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश की अपीलान्ट को किसी प्रकार से जानकारी नहीं थी। सर्वप्रथम पटवारी हल्का दिनांक 13.09.2016 को हुई, जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 14.09.2016 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसकी नकल दिनांक 21.09.2016 को ही प्राप्त की, तत्पश्चात विधि सलाह से राय प्राप्त कर अपील अपीलान्ट बाद जानकारी अन्दर मयाद पेश है, फिर भी अपील मे हुए विलम्ब को विस्तारित फरमाने हेतु प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मयाद अधिनियम मय शपथपत्र के पेश है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय एवं आदेश विवादित आराजीयात, पक्षकारान श्रीमान के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार मे अवस्थित होने से अपील अपीलान्ट श्रीमान के न्यायालय में पेश है। अपीलान्ट की ओर से प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ पेश है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अपील बहक अपीलांट स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय व आदेश दिनांक 29.08.2016 निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

इस पर अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस के तलब किया गया। रेस्पोडेंट की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। इस पर तहसीलदार राशमी के पत्रांक/राजस्व/2016/427 दिनांक 02.01.2017 से उनकी मूल पत्रावली संख्या 044/2016 निर्णय दिनांक 29.08.2016 अनवानी सरकार बनाम पुष्पादेवी पिता शोभालाल वगैराह अन्तर्गत धारा 91

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:15:57 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 को प्रेषित की गई जो कि पत्रावली के हम किता है। दिनांक 19.03.2021 को राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण में सीधे बहस किये जाने का निवेदन किया। इस पर उभयपक्ष अधिवक्ता की सहमति से पत्रावली में प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही ड्रॉप की जाकर मूल पत्रावली पर उभयपक्ष की सहमति से प्रकरण को सीधे बहस हेतु रखा गया।

सर्वप्रथम उभयपक्ष द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम 1963 सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट की प्रोपर तामील नहीं हुयी जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश की अपीलान्ट को किसी प्रकार से जानकारी नहीं थी। सर्वप्रथम पटवारी हल्का दिनांक 13.12.2016 को हुई, जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 14.12.2016 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसकी नकल दिनांक 21.12.2016 को ही प्राप्त की, तत्पश्चात विधि सलाह से राय प्राप्त कर अपील अपीलान्ट बाद जानकारी अन्दर मयाद पेश है। दिनांक 29.08.2016 से दिनांक 13.12.2016 तक विवादित निर्णय एवं आदेश की जानकारी नहीं होने एवं तत्पश्चात की देरी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने एवं विधिक सलाहकार से राय प्राप्त करने से हुई है जिससे अपील प्रस्तुती में हुई समस्त देरी को कन्डोन किया जाना न्यायोचित है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई समस्त देरी को कन्डोन किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे। ताईद में शपथपत्र पेश है। जिससे अपील प्रस्तुती में हुई समस्त देरी को कण्डोन किया जाना न्यायोचित है। अतः मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई समस्त देरी को कण्डोन किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। इस पर राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया और अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेखों पर दृष्टिपात कराया कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 29.08.2016 पर अपीलांट के उपस्थिति दर्ज होकर हस्ताक्षर/निशानी अंकित है एवं अपीलांट आदेश दिनांक 29.08.2016 की जानकारी होने के बावजूद अपीलांट द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई। इसके साथ ही अपीलांट द्वारा अपने अपील ममों में निर्णय दिनांक 29.08.2016 की जानकारी दिनांक 13.09.2016 को हल्का पटवारी से होना जाहिर किया गया है, जबकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा कानून 5 मियाद अधिनियम, 1963 में निर्णय दिनांक की जानकारी दिनांक 13.12.2016 को होना जाहिर किया जाकर दिनांक 21.12.2016 को निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होना अवगत कराया गया, अपीलांट द्वारा अपने अपील मेमों एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम, 1963 में पृथक–पृथक तथ्य अंकित किये गये, ऐसी स्थिति

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:15:57 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

में अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर खारीज फरमाया जावें। इस पर विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस मियाद के रिवटल में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखते उससे पूर्व ही उपस्थिति दर्ज कर निर्णय कर दिया जिसकी जानकारी भी अपीलांट को नहीं दी गई एवं ना ही किसी भी प्रकार का आदेश सुनाया गया, ऐसी स्थिति में अपीलांट को निर्णय दिनांक 29.08.2016 की जानकारी प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील प्रस्तुती में हुई समस्त देरी को क्षम्य किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया। हमने परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के प्रावधानों का अवलोकन किया। अधिनियम में धारा 5 के तहत व्यवस्था की गई है कि :–

5. **Extension of prescribed period in certain cases**.—Any appeal or any application, other than an application under any of the provisions of Order XXI of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), may be admitted after the prescribed period if the appellant or the applicant satisfies the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period.

Explanation.—The fact that the appellant or the applicant was missed by any order, practice or judgment of the High Court in ascertaining or computing the prescribed period may be sufficient cause within the meaning of this section.

परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के प्रावधानानुसार कोई भी अपील या कोई भी आवेदन, जो सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के आदेश 21 के उपबंधों में से किसी के अधीन के आवेदन से भिन्न हो, विहित काल के पश्चात् ग्रहण कियहा जा सकेगा यदि अपीलार्थी या आवेदक, न्यायालय का यह समाधान कर दे कि उसके पास ऐसे काल के भीतर अपील या आवेदन न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था, हमने पत्रावली का बागौर अवलोकन किया। मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्रों का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना पत्र का मनन किया। हमने अपील मेमों के साथ प्रस्तुत नकल निर्णय दिनांक 29.08.2016 का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राशमी द्वारा प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र संख्या 23 प्रस्तुत दिनांक 14.09.2016 से प्रतिलिपि दिनांक 21.09.2016 को जारी किया जाना जाहिर होता है। अपीलांट द्वारा अपने अपील मेमों में निर्णय दिनांक की प्रतिलिपि दिनांक 21.09.2016 को प्राप्त होना अवगत कराया गया है, जबकि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, 1963 में प्रतिलिपि दिनांक 21.12.2016 को प्राप्त होना अवगत कराया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा अपील मेमों एवं प्रार्थना पत्र में विरोधाभासी तथ्य अंकित किये गये है। हस्तगत अपील न्यायालय में दिनांक 23.12.2016 को प्रस्तुत किया जाना जाहिर होता है। जबकि हस्तगत अपील में अपीलांट द्वारा स्वयं अपने अपील मेमों में निर्णय दिनांक 29.08.2016 की जानकारी होने पर निर्णय की प्रतिलिपि दिनांक 21.09.2016 को प्राप्त होना अवगत कराया गया है

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:15:57 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जबकि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, 1963 में निर्णय दिनांक 29.08.2016 की जानकारी होने पर निर्णय की प्रतिलिपि दिनांक 21.12.2016 को प्राप्त होना अवगत कराया गया है जो कि विरोधाभासी तथ्य है, अगर इसके लिपिकीय त्रुटि भी माना जावें तो अधीनस्थ न्यायालय से निर्णय की प्रति दिनांक 21.09.2016 को प्राप्त होना पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि से जाहिर होता है, जबकि अपील अपीलांट न्यायालय में दिनांक 23.12.2016 को प्रस्तुत की गई है ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुत में दिनांक 21.09.2016 से 23.12.2016 तक के विलम्ब के संबंध में अपीलांट द्वारा युक्ति–युक्त कारण प्रस्तुत नहीं किये गये है, ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, 1963 को खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन/विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर पोषणीय नहीं पाये जाने से मियाद के बिन्दु पर खारीज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **19.03.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:15:57 IST
Reason: SelfAttested